

13/03/2024 पत्रावली पैदा हुई। वकील सायल उप० नही।  
वकील सायल द्वारा दीर्घकाल से तलबी नही  
कराई है वकील सायल का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत  
धारा 09 R S CPC के तहत खारीज किया जा  
जाता है। पत्रावली फिलहाल शुभाट डीकर नम्बर  
ले कम हो।

*(Signature)*

उपजिला कलक्टर

बामनवास (सबका०)

